अनुदान संख्या 95 - जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 95 – MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged-*		*3311,25,00*	*3211,23,82*	*-100,01,18*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*98,92,79*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	358,76,00	382,03,00	357,48,09	-24,54,91
पूरक	Supplementary	23,27,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21,03,14
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-		70,00,00	70,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*331125.00*	*321232.21*	*321123.82*	*-108.39*
पु.	*R.*	*-9892.79*			

(I) *₹14.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹14.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान" - *₹23083.75 लाख* की बचत *(₹229301.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कुछ

(II) Under "Grants for State Plan Schemes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Grants under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" – saving of *₹23083.75 lakhs* (against the sanctioned

राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों, उपयोग प्रमाणपत्रों और प्रगति रिपोर्टों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

appropriation of *₹229301.00 lakhs)* was due to non-receipt of complete proposals, utilisation certificates and progress reports from some State Governments.

(III) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना -अनुसूचित जनजातियों का कल्याण -शिक्षा" के अंतर्गत *₹1202.95 लाख* की बचत (*₹26070.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under "Grants for Central Plan Schemes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Education"- saving of *₹1202.95 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹26070.00 lakhs)* was due to non-receipt of complete proposals from State Governments.

2. उपर्युक्त बचतें "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - *₹14299.52 लाख* का अधिक व्यय (*₹75740.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कार्यान्वयनकारी अभिकरणों से अधिक प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes -Education" - excess of *₹14299.52 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹75740.00 lakhs)* was due to receipt of more proposals from the implementing agencies.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹2454.91 लाख) नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹2327.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹2454.91 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2327.00 lakhs obtained in November, 2011 and March, 2012 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ : -

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	1225.00			
पू.	S.	14.00	1127.00	1055.61	-71.39
पु.	R.	-112.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes					
मू.	O.	20349.00				
पू.	S.	2313.00		22805.86	22525.48	-280.38
पु.	R.	143.86				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	14300.00				
				..	..	..
पु.	R.	-14300.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
पु.	R.	12167.00		12167.00	12167.00	..

(I) ₹14302.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; इनमें से ₹14300.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" -"जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(I) Provision of ₹14302.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹14300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" –"Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes-Education" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - जनजातीय कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1225.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹14.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1239.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹183.39 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम/अधूरे प्रस्तावों के प्राप्त होने और प्रशासनिक मजबूरियों के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Tribal Affairs" – the original provision of ₹1225.00 lakhs was augmented to ₹1239.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹14.00 lakhs. However, there was a saving of ₹183.39 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less/ incomplete proposals and administrative constraints.

(III) मुख्य शीर्ष "2225" -"अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत ₹8350.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2312.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10662.00 लाख कर

(III) Under Major Head "2225" –"Welfare of Scheduled Tribes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Education" – the original provision of ₹8350.00 lakhs was augmented to ₹10662.00 lakhs

दिया गया था, जो तथापि, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने और योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण ₹151.84 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

by obtaining supplementary grant of ₹2312.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of ₹151.84 lakhs - due to non-receipt of complete proposals from Union Territory of Andaman and Nicobar and non-receipt of approval from the Planning Commission.

(IV) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय जनजाति आयोग" के अंतर्गत ₹151.81 लाख की बचत (₹609.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Tribes – Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes" – saving of ₹151.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹609.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹398.08 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹167.63 लाख था।

4.(I) The above savings were partly (₹398.08 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Tribes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Other Expenditure". Actual excess, however, was ₹167.63 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" - ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Tribal Area Sub-Plan – Welfare of Scheduled Tribes – Education" – excess of ₹500.00 lakhs (against nil provision); and

(खा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" - ₹11667.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes – Education" - excess of ₹11667.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.